भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *404
28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी

***404. श्रीमती भारती पारधीः**
डॉ. हेमंत विष्णु सवराः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और विशेषकर बालाघाट और भोपाल जिलों एवं सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले एवं अमरोहा और फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों सहित राज्यवार कुल कितने लाभार्थी सम्मिलित किए गए हैं और कितने उपचार करा चुके हैं;

(ख) देशभर में फरवरी, 2024 से फरवरी, 2025 तक पीएम-जेएवाई के तहत सफलतापूर्वक नामांकित मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा कार्यकर्ताओं), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायकों (एडब्ल्यूएच) की वर्तमान संख्या राज्यवार और विशेषकर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले और अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित उक्त जिलों में कितनी है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत विशेषकर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले और उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्यवार निजी अस्पतालों सहित कुल कितने अस्पताल सूचीबद्ध हैं;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में आए रोगियों की कुल संख्या कितनी है और वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान इन पर कितनी वित्तीय लागत आई; और

(ङ) सरकार द्वारा हरियाणा सहित देश में पीएम-जेएवाई के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने, लाभार्थियों के लिए उपचार प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने और स्वास्थ्य सेवा सुलभता में सुधार करने के लिए उठाए गए कदमों/शुरू की गई नई पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

28 मार्च, 2025 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.404 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): 01.03.2025 तक, एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत ₹1.26 लाख करोड़ मूल्य की 8.9 करोड़ से अधिक अस्पताल-भर्तियों को अधिकृत किया गया है। आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत पात्र लाभार्थी परिवारों की संख्या और अस्पताल-भर्तियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण क्रमशः **अनुलग्नक-I** और **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

इस योजना के अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्रवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं; बल्कि, जिलावार आंकड़े उपलब्ध हैं।

मध्य प्रदेश के बालाघाट, भोपाल, सीधी जिलों और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, अमरोहा और प्रयागराज जिलों में कवर किए गए लाभार्थी परिवारों और अस्पताल – भर्तियों की जिलावार अनुमानित संख्या **अनुलग्नक-III** में दी गई है।

20.03.2025 तक, इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) के लाभार्थी परिवारों के लिए क्रमशः 10.21 लाख, 14.47 लाख और 14.76 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। योजना के तहत आशाकर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, अमरोहा जिलों में आशाकर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या का जिलावार विवरण **अनुलग्नक-V** में है।

01.03.2025 तक, 13,866 निजी अस्पतालों और 17,091 सरकारी अस्पतालों सहित कुल 30,957 अस्पतालों को इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।

01.03.2025 तक, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एबी-पीएमजेएवाई के तहत ₹34,954 करोड़ मूल्य के 2.21 करोड़ से अधिक अस्पताल - भर्तियों को अधिकृत किया गया है।

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 13 अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया है, जिनमें 3 निजी और 10 सरकारी अस्पताल शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में 22 निजी और 29 सरकारी अस्पतालों सहित कुल 51 अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया है।

एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत पैनलबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों की संख्या का हरियाणा सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-VI** में दिया गया है।

इस योजना में समय-समय पर आवश्यकतानुसार नियमित अद्यतनीकरण जैसे लाभार्थी आधार का विस्तार, नई प्रक्रियाओं को शामिल करना, नए अस्पतालों को सूचीबद्ध करना तथा अन्य सुधार किए जाते हैं। उठाए गए कुछ कदम/शुरू की गई नई पहल निम्नलिखित हैं:

योजना का विस्तार:

26.03.2025 तक, पश्चिम बंगाल को छोड़कर, देश भर के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एबी-पीएमजेएवाई में शामिल कर लिया गया है।

लाभार्थी आधार का विस्तार:

एबी-पीएमजेएवाई के तहत, लाभार्थी परिवारों के लिए पात्रता मानदंड की पहचान शुरू में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 6 अभाव ग्रस्तता और 11 व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर 2011 की सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना (एसईसीसी) से की गई थी। इसके अलावा, जनवरी 2022 में, 11.7% की दशकीय वृद्धि दर के आधार पर, भारत सरकार ने लाभार्थी आधार को संशोधित कर 12 करोड़ परिवारों तक कर दिया और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उन लाभार्थियों के सत्यापन के लिए अन्य डेटाबेस (समान सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल के) का उपयोग करने की छूट प्रदान की गई है जिन एसईसीसी लाभार्थियों को पहचाना और सत्यापित नहीं किया जा सका था। एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने वाले कई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने गैर-एसईसीसी डेटा स्रोतों (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राज्य विशिष्ट डेटासेट सहित) का उपयोग करके इस योजना के तहत लाभार्थी आधार का और विस्तार किया है।

मार्च 2024 में, इस योजना के तहत पात्रता मानदंडों का विस्तार करके 37 लाख मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू), आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) और उनके परिवारों को शामिल किया गया। इसके अलावा, 29.10.2024 को, सरकार ने 4.5 करोड़ परिवारों से संबंधित 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त उपचार लाभ प्रदान करने के लिए एबी-पीएमजेएवाई का विस्तार किया।

एचबीपी का यौक्तिकीकरण

एबी-पीएमजेएवाई के तहत, योजना के शुभारंभ के बाद से स्वास्थ्य लाभ पैकेजों को पांच बार संशोधित किया गया है। शुरुआत में, इस योजना में 1,359 पैकेज शामिल थे, लेकिन स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) 2022 में अब 27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं में 1,961 पैकेज शामिल हैं। कुल 365 नई उपचार प्रक्रियाएँ जोड़ी गई हैं और 832 पैकेजों की दरों में वृद्धि की गई है। इनमें पहले से कवर किए गए किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी जैसी उच्च-स्तरीय प्रक्रियाएँ शुरू की गई हैं।

पुनर्निर्मित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली

पुनर्निर्मित लाभार्थी पहचान प्रणाली (बीआईएस 2.0) जिससे स्वयं/दूसरे की सहायता से सत्यापन हो जाता है और जिसमें अनावश्यक बिचौलियों की भूमिका नहीं रहती है, आयुष्मान मोबाइल एप्लिकेशन फेस-ऑथ प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लाभार्थी के त्वरित सत्यापन और सृजन, डोर-टू-डोर जनसंपर्क में सहायक है। लेनदेन प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस 2.0) पंजीकरण से लेकर दावा प्रबंधन तक अस्पताल प्रक्रियाओं को बेहतर बनाती है, उपयोगकर्ता प्रबंधन पोर्टल (यूएमपी) पीएम-जेएवाई एप्लीकेशनों तक निर्बाध पहुँच के लिए एक एकीकृत लॉगिन प्रणाली प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय पोर्टल, डैशबोर्ड और विश्लेषणात्मक सोल्यूशन की मदद से तात्क्षणिक निगरानी, प्रवृत्ति विश्लेषण और धोखाधड़ी का पता लगाने में सहायक है, जिससे योजना कार्यान्वयन की मजबूती मिलती है।

अस्पताल को पैनल में शामिल करना

अस्पताल को पैनल में शामिल करना एक सतत प्रक्रिया है और इसे संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं (एबी-पीएमजेएवाई मानदंडों को पूरा करने वाले) की आवश्यकताओं और उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। भारत सरकार सभी पात्र लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिक से अधिक अस्पतालों को योजना के तहत पैनल में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

अनुलग्नक-I

एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत पात्र लाभार्थी परिवारों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**पात्र लाभार्थी परिवारों की संख्या**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	32,572
आंध्र प्रदेश	78,65,341
अरुणाचल प्रदेश	1,33,249
असम	37,25,630
बिहार	1,32,60,697
चंडीगढ़	1,04,084
छत्तीसगढ़	45,70,670
दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	49,763
गोवा	1,07,089
गुजरात	67,01,820
हरियाणा	24,78,787
हिमाचल प्रदेश	7,99,728
जम्मू और कश्मीर	10,84,365
झारखंड	36,19,092
कर्नाटक	87,51,412
केरल	35,94,528
लद्दाख	24,474
लक्षद्वीप	3,498
मध्य प्रदेश	1,06,34,139
महाराष्ट्र	1,32,92,650
मणिपुर	3,73,701
मेघालय	4,30,702
मिजोरम	2,26,156
नागालैंड	2,96,233
पुदुचेरी	1,52,164
पंजाब	27,35,109
राजस्थान	80,72,469
सिक्किम	58,764
तमिलनाडु	1,16,21,507
तेलंगाना	39,78,169
त्रिपुरा	6,27,394
उत्तर प्रदेश	1,80,17,007
उत्तराखंड	9,73,184
दिल्ली	8,95,517
ओडिशा	77,79,939
पश्चिम बंगाल	1,43,39,146

अनुलग्नक-II

एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत अस्पताल – भर्तियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**अस्पताल -भर्तियों की संख्या**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3,482
आंध्र प्रदेश	79,15,250
अरुणाचल प्रदेश	6,819
असम	14,72,550
बिहार	18,01,796
चंडीगढ़	66,977
छत्तीसगढ़	71,77,245
दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	1,43,592
गोवा	13,913
गुजरात	65,05,616
हरियाणा	21,96,287
हिमाचल प्रदेश	3,37,769
जम्मू और कश्मीर	16,02,832
झारखंड	23,81,825
कर्नाटक	1,12,17,090
केरल	68,85,523
लद्दाख	22,562
लक्षद्वीप	1,430
मध्य प्रदेश	54,21,743
महाराष्ट्र	28,21,618
मणिपुर	2,20,305
मेघालय	9,77,082
मिजोरम	1,57,246
नागालैंड	96,728
पुदुचेरी	1,19,656
पंजाब	25,43,267
राजस्थान	66,74,990
सिक्किम	28,058
तमिलनाडु	1,10,95,951
तेलंगाना	21,13,518
त्रिपुरा	4,22,393
उत्तर प्रदेश	60,13,870
उत्तराखंड	14,46,751

अनुलग्नक-**III**

मध्य प्रदेश के बालाघाट, भोपाल, सीधी जिलों और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, अमरोहा और प्रयागराज जिलों में कवर किए गए लाभार्थी परिवारों और अस्पताल -भर्तियों की जिलावार अनुमानित संख्या

जिला	**लाभार्थी परिवारों की संख्या**	**अस्पताल - भर्तियों की संख्या**
बालाघाट (मध्य प्रदेश)	4,22,647	54,310
भोपाल (मध्य प्रदेश)	4,61,386	3,97,310
सीधी (मध्य प्रदेश)	2,89,993	75,286
आज़मगढ़ (उत्तर प्रदेश)	4,19,118	1,23,314
अमरोहा (उत्तर प्रदेश)	1,63,725	55,179
प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)	5,23,827	73,299

एबी-पीएमजेएवाई के तहत आशाकर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और एडब्ल्यूएच के लिए बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या**		
	आशाकर्मी	**एडब्ल्यूडब्ल्यू**	**एडब्ल्यूएच**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	503	943	901
आंध्र प्रदेश	3,871	82,258	68,643
अरुणाचल प्रदेश	1,797	3,230	2,870
असम	44,541	73,211	74,001
बिहार	82,541	1,29,279	1,24,064
चंडीगढ़	0	719	989
छत्तीसगढ़	57,558	1,42,558	1,24,873
दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	702	1,980	2,045
गोवा	0	958	918
गुजरात	75,467	1,06,866	1,19,588
हरियाणा	29,815	29,220	44,953
हिमाचल प्रदेश	6,249	12,323	18,333
जम्मू और कश्मीर	18,146	82,464	86,088
झारखंड	69,212	16,288	16,289
कर्नाटक	42,053	55,929	51,278
केरल	17,996	33,750	36,368
लद्दाख	903	4,132	3,997
लक्षद्वीप	0	170	189
मध्य प्रदेश	66,443	2,35,228	2,37,758
महाराष्ट्र	82,074	1,07,418	1,11,095
मणिपुर	2,452	12,542	10,574
मेघालय	7,230	7,517	5,266
मिजोरम	2,126	5,620	5,420
नागालैंड	1,859	7,174	6,856
पुदुचेरी	104	572	874
पंजाब	28,038	26,362	37,333
राजस्थान	44,349	66,075	80,314
सिक्किम	597	1,545	1,633
तमिलनाडु	549	12,608	17,124
तेलंगाना	28,680	23,113	19,179
त्रिपुरा	2,057	14,222	13,304
उत्तर प्रदेश	3,03,115	1,25,600	1,32,698
उत्तराखंड	952	25,677	20,477

अनुलग्नक-V

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, अमरोहा जिलों में आशाकर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या का जिलावार विवरण

जिला	**बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या**		
	आशाकर्मी	**एडब्ल्यूडब्ल्यू**	**एडब्ल्यूएच**
बालाघाट (मध्य प्रदेश)	2,227	6,555	6,806
आज़मगढ़ (उत्तर प्रदेश)	5,940	5,374	4,975
अमरोहा (उत्तर प्रदेश)	3,190	949	866

एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**सरकारी अस्पताल**	**निजी अस्पताल**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	7	-
आंध्र प्रदेश	1,414	1,079
अरुणाचल प्रदेश	46	5
असम	182	170
बिहार	587	528
चंडीगढ़	7	24
छत्तीसगढ़	1,041	620
दादरा और नगर हवेली	11	2
दमन और दीव	4	3
दिल्ली	11	62
गोवा	23	2
गुजरात	1,752	914
हरियाणा	557	758
हिमाचल प्रदेश	138	149
जम्मू और कश्मीर	122	134
झारखंड	240	317
कर्नाटक	2,972	588
केरल	202	386
लद्दाख	10	-
लक्षद्वीप	5	-
मध्य प्रदेश	497	587
महाराष्ट्र	508	1,129
मणिपुर	34	35
मेघालय	155	19
मिजोरम	80	8
नागालैंड	50	27
ओडिशा	11	1
पुदुचेरी	12	18
पंजाब	219	554
राजस्थान	930	974
सिक्किम	14	5
तमिलनाडु	1,020	1,225
तेलंगाना	1,015	410
त्रिपुरा	133	5
उत्तर प्रदेश	2,949	2,927
उत्तराखंड	106	185
पश्चिम बंगाल	27	16

*****